पत्रांकः–589/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादूनः दिनांकः०1 जुलाई 2013

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7) न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7) 40(ix)/2011,दिनांक07अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 सं0–216/xxvii(7) 40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011, सं0–313/xxvii(7)40 (ix)/2011 एवं सं0–314/xxvii(7)40(ix)/2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं–जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण–मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन–स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त ए0सी0पी0 के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तदनुसार ही ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) राजकीय कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10,18 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ कतिपय

प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये गये हैं, के स्थान पर क्रमशः 10,16 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ **निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे** और तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) एवं शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 का प्रस्तर–2 (2) संशोधित समझा जायेगाः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने की तिथि 01.09.2008 के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रथम प्रोन्नति, उसकी सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक दो पदोन्नतियाँ अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान अथवा एक पदोन्नति के बाद प्रोन्नति के पद के सापेक्ष प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान (यथा स्थिति) का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 16 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक तीन पदोन्नतियों का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(घ)उपर्युक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (5) एवं सं0 314//xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (क) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत **"धारित पद"** का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके फलस्वरूप यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च

2011 के क्रम में पूर्व की स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के अधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर–3 (2) संशोधित समझा जायेगा।

(3) ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को "इग्नोर" किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा। इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर–1(3) संशोधित समझा जायेगा।

(4)(क) ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु "नॉन फंक्शनल" वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को "इग्नोर" किया जायेगा। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा।

(ख) उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों के संदर्भ में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की व्यवस्था सामान्य रूप में सभी सेवा–संवर्ग/पदों पर लागू नहीं है, बल्कि पूर्व में उत्तराखण्ड सचिवालय और उससे समकक्षता वाले अन्य कार्यालयों में जिन कतिपय पदों (जैसे–अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव) पर यह विशिष्ट व्यवस्था लागू थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की विशिष्ट व्यवस्था राज्य सरकार के निर्णयानुसार केवल फार्मेसिस्ट के पद पर ही, तत्सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश से लागू है। अतएव यदि किसी प्रकरण में फार्मेसिस्ट पद से भिन्न किसी पदधारक को किसी भी स्तर से इस रूप में कोई भी वित्तीय लाभ त्रुटिवश प्रदान कर दिया गया हो, तो उसे यथाशीघ्र सही कराया जाना और वेतन–भत्ते के रूप में अधिक

भुगतानित धनराशि का समायोजन भी संबन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर अपेक्षित होगा।

(5)(क) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(1) के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड–3) एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन/वेतन बैण्ड के लिए ए0सी0पी0 की जो व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से लागू की गई थी, उसे बाद में समानता के आधार पर संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2(1) के अनुसार दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी किया गया है। यद्यपि, उक्त शासनादेश 8 मार्च, 2011 में ऐसे कार्मिकों को ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 लागू किये जाने अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को ही भविष्य में भी बनायें रखने का निर्णय उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(4) के अनुसार संवर्ग–नियंत्रक/प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से लिया जाना था, फिर भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा, किन्तु ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी/प्रशासकीय विभाग) एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण हेतु विकल्प की तिथि (यथा– दिनांक 01.01.2006 अथवा अन्य तिथि, जो भी हो) से ही यदि ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया गया है, तो वेतन का निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व से प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर ए0सी0पी0 के लाभ के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में सीधे ही शासनादेश सं0 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी फिटमेण्ट तालिका के अनुसार ही किया गया हो और यदि वेतन निर्धारण हेतु इससे भिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी हो, तो उस प्रकरण में वेतन– भत्तों के रूप में अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन अपेक्षित होगा। ज्ञातव्य है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना (यथा विकल्प) लागू होने और से0 ग्रेड/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने की एक ही तिथि होने की दशा में , उस तिथि को दो बार वेतन निर्धारण किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा लागू नहीं की गयी है।

(ख) ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड–3) या उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रक्रियात्मक व्यवस्था विषयक उक्त शासनादेश सं0 314/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2(ख) (i) एवं (ii) निम्नानुसार संशोधित समझे जायेंगे:–

(i) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। सेवा–अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष/कतिपय मामलों में 16 वर्ष/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि उसे सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त न हुयी हों।

3– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 (यथा संशोधित) में निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–60–उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है। अतएव उनके सम्बन्ध में

प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4– कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराते हुये विभागीय स्तर पर "टैस्ट–ऑडिट" भी यथा समय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या:– 589 (1)/xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3–प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4–प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7–वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10–इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11–निदेशक, एन. आई. सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव